न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर०ए०एस

मुकदमा नं० 101 / 2020

1. भमरी
2. रामहंस पिसरान चरनी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुराना तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र रामचन्द
2. महेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह
3. रामवीर सिंह
4. धर्मवीर सिंह पिसरान अर्जुन सिंह जाति गुर्जर निवासी पहाडी तहसील पहाडी
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी, तहसील पहाड़ी, (भरतपुर) राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खॉं वकील प्रार्थीगण

दिनांक :– 16 / 07 / 2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1953 / 0.90 बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है आराजी खसरा नम्बर 1952 / 0.57 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजी है। तथा शेष आराजी अन्य काश्तकारान की आराजी है। आराजी खसरा नम्बर 1941 / 0.30 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय ग्राम पंचायत पहाडी के नाम गै0 मुम0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जो मुख्य सडक कामॉं से पहाडी से लगता हुआ है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के जमाने से अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी नम्बर 1953 / 0.90 पर आने–जाने के लिये आराजी खसरा नम्बर 1952, 1949, 1950, 1945,1946 में होकर खसरा नम्बर 1941 तक पहुँच कर मुख्य सडक पहाडी से कामॉं पर आने–जाने के लिये लगभग 30 फुट चौडा रास्ता का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1949, 1950, 1945, 1946, 1952, 1941, में जो चालू हालत में लगभग 30 फुट चौडा रास्ता था उसको तोडकर अपने खेतों में मिलाकर अवरूद्ध रोक दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी पर आने–जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने में भारी परेशानी हो रही है। अप्रार्थीगण को पूर्व में चालू रास्ते को रोकने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख़सरा नम्बर 1950,1949,1946,1945,1941, एवं 1953/0.90 बांके ग्राम पहाडी प्रथम पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1952/0.57 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय में से 30 फुट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध दिनांक 28/01/2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया कि मुझे आराजी खसरा नम्बर 1953 में आने जाने के लिये रास्ते कायम करने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1952 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय में से रास्ता दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 08/04/2021 को प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1949, 1950, 1945, 1946, 1941, बांके ग्राम पहाडी द्वितीय एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 21 को प्रार्थना पत्र से तर्क करा दिया है।

अप्रार्थी संख्या 22 तहसीलदार पहाडी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 29/06/2021 को जबाब रिपोर्ट इस आशय की पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1953/0.90 बांके ग्राम पहाडी प्रथम में स्थित है। खसरा नम्बर 1952/0.57 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय में स्थित है उक्त आराजी शेरसिंह पुत्र रामचन्द , महेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह, रामवीर सिंह वगैराह पिसरान अर्जुन निवासी पहाडी खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1953/0.90 पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1952/0.57 में होकर सडक कामाँ पहाडी आते जाते है। क्योकि खसरा नम्बर 1940, 1941, 1946, 1945, 1950, 1949 में होकर मौके पर ग्रेवल सडक मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा 30 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। विवादित ख0न0 1953/0.90 व खसरा नम्बर 1952/0.57 का मौका निरीक्षण किया गया । प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 1953/0.90 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1952/0.57 में से 30 फुट चौडा एवं 30 फुट लम्बाई का रास्ता काम के उपयोग में लिया जा रहा है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1953/0.90 बांके ग्राम पहाडी प्रथम पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1952/0.57 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय में होकर 30X30 फुट का चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार पहाडी का जबाब दिनांक 29/06/2021 के मुताबिक प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1953/0.90 पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1952/0.57 में होकर सडक कामाँ पहाडी पर आते जाते है । क्योकि खसरा नम्बर 1940,1941,1946, 1945,1950,1949, में होकर मौके पर ग्रेवल सडक मौजूद है। खसरा नम्बर 1953/0.90 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1952/0.57 में से 30 फुट चौडा एवं 30 फुट लम्बाई का रास्ता काम के उपयोग में लिया जा रहा है मुख्य सडक से प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँचने के लिये न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण महेन्द्र बनाम रामधन में निर्णय दिनांक 02/02/21 के माध्यम से रास्ता कायम किया गया है। जो कि मौके पर पूर्व से ही डला हुआ है। केवल प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँचने के लिये खसरा नम्बर 1952 में रास्ता कायम नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँचने के लिये यह सर्वाधिक छोटा मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पूर्णतः सहमत है एवं तहसीलदार पहाड़ी ने भी रास्ता दिया जाना उचित बताया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:–

प्रार्थीगण कि खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1953/0.90 है0 बांके ग्राम पहाडी प्रथम में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 1952/0.57 है0 में से 30 फुट चौडा एवं 30 फुट लम्बाई का रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार पहाड़ी प्रार्थीगण से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि जमा कराकर खातेदार को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).